

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 11.04.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राम करन पुत्र रामफेर वर्मा नि० गूचे पुरवा मलारी थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-157/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सतीश कुमार उर्फ ननके पुत्र कामता प्रसाद नि० जगतापुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-130/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. दुःख राम पुत्र चौधरी नि० गढी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-145/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. दिनेश कुमार पुत्र राम सुधर नि० सर्वहरा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-124/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. हनुमान सोनकर पुत्र सेरई नि० पण्डित पुरवा धनौली थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-287/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 11.04.2021

थाना वजीरगंज द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे। जिसके क्रम में थाना वजीरगंज ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

आज दिनांक 11.04.2021 को उ०नि० उमाशंकर वर्मा मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त अवधेश यादव पुत्र स्वर्गीय मिश्रीलाल यादव नि० ग्राम झाऊपुरवा मौजा चंदापुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को चाई पुरवा चंदापुर के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अवधेश यादव पुत्र स्वर्गीय मिश्रीलाल यादव नि० ग्राम झाऊपुरवा मौजा चंदापुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—146/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता—

01. उ०नि० उमाशंकर मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 11.04.2021

थाना मोतीगंज द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे। जिसके क्रम में थाना मोतीगंज ने देशी बन्दूक के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

आज दिनांक 11.04.2021 को उ०नि० राकेश पाल मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त विक्रमा पुत्र राधेश्याम नि० केवलपुरा मौजा पेड़ारन थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को केवलपुरा प्राइमरी पाठशाला के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद देशी बन्दूक 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोतीगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. विक्रमा पुत्र राधेश्याम नि० केवलपुरा मौजा पेड़ारन थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—81/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद देशी बन्दूक 12 बोर
मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता—

01. उ०नि० राकेश पाल मय टीम।

02 जोडे एक साथ रहने को हुए राजी -

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के महिला थाना में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में परामर्शदाताओं ने 02 दम्पतियों को समझाबुझाकर एक साथ सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया।

इन जोड़ों में 01. आफरीन पत्नी इबरार, 02. रेशमा पत्नी मो० शमीम एक साथ सुखी जीवन जीने हेतु राजी हो गये।

परामर्श केन्द्र में उपस्थित सदस्यगण- प्रभारी निरीक्षक महिला थाना पूनम यादव, राजमंगल मौर्या, संतोष ओझा, डॉ० उमा सिंह, यशोदा नन्दन त्रिपाठी, सैय्यद कासिम हुसैन काजमी, निधि त्रिपाठी, म०का० रेशन आरा, म०का० पूजा यादव, म०का० शाहिना बानो।